संख्या-22/2023/001-440/60-1-2023

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 04 मई, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 राजस्व पक्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-100-101/निदे0म0क0/प्रोबे0/मिशन वात्सल्य/2023-24, दिनांक 20.04.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान सं0-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु कुल प्राविधानित धनराशि रू0 43226.18 लाख (रूपये चार अरब बत्तीस करोड़ छब्बीस लाख अट्ठारह हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु रू0 1,06,63,59,000/- (रुपये एक अरब छह करोड़ तिरसठ लाख उनसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का निवर्तन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में समस्त व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित प्राविधानों/उपबन्धों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार एवं समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए।

(5) विभिन्नत अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस/16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

(6) यह धनराशि अविलम्ब मुख्यालय/जनपद स्तरीय अधिकारियों के निवर्तन पर प्रस्तावित कार्य योजना के सापेक्ष वर्ष 2023-24 के व्यय/आहरण हेतु आवंटित की जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021020106 (बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.))

	अनुदान	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	संख्या			
1	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	07 मानदेय	3,59,99,000 (रुपये तीन करोड़ उनसठ लाख निन्यानवे हजार मात्र)
2	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	08 कार्यालय व्यय	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
3	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	09 विद्युत देय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
4	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	10 जलकर / जल प्रभार	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
5	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
6	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	13 टेलीफोन पर व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
7	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
8	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	13,50,000 (रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र)
9	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	29 अनुरक्षण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
10	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	42 अन्य व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
11	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
12	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
13	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
14	049	2235021020106	58	60,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	(रुपये साठ लाख मात्र)
	कुल			**4,93,49,000 (रुपये चार करोड़ तिरानवे लाख उनचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020107 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द बालकों के लिये खुले आश्रय गृह (के.60/रा.30/स्वै.10-के.+रा.+स्वै))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020107 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द बालकों के लिये खुले आश्रय गृह (के.60/रा.30/स्वै.10-के.+रा.+स्वै)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	70,96,000 (रुपये सत्तर लाख छियानबे हजार मात्र)
	कुल			**70,96,000 (रुपये सत्तर लाख छियानबे हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020110 (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	08 कार्यालय व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
2	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	09 विद्युत देय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
3	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	10 जलकर / जल प्रभार	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
4	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
6	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50,88,000 (रुपये पचास लाख अट्ठासी हजार मात्र)
7	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
8	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,15,15,000 (रुपये एक करोड़ पंद्रह लाख पंद्रह हजार मात्र)
9	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
10	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	29 अनुरक्षण	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
11	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	39 औषधि तथा रसायन	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
12	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	41 भोजन व्यय	54,66,000 (रुपये चौवन लाख छियासठ हजार मात्र)
13	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	5,10,000 (रुपये पांच लाख दस हजार मात्र)
14	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
15	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों	46 कम्प्यूटर	2,70,000 (रुपये दो लाख सत्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	हजार मात्र)
16	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**2,78,99,000 (रुपये दो करोड़ अठहत्तर लाख निन्यानवे हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020112 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	04 यात्रा व्यय	24,000 (रुपये चौबीस हजार मात्र)
2	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	08 कार्यालय व्यय	1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)
3	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	09 विद्युत देय	1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)
4	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	10 जलकर / जल प्रभार	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
5	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
6	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	22,75,000 (रुपये बाईस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
7	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	31,50,000 (रुपये इकतीस लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		के.)		
8	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	41 भोजन व्यय	13,50,000 (रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र)
9	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	42 अन्य व्यय	18,71,000 (रुपये अठारह लाख इकहत्तर हजार मात्र)
10	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
11	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
12	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
13	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	16,95,000 (रुपये सोलह लाख पंचानबे हजार मात्र)
	कुल			**1,21,05,000** **(रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख पांच हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020114 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के..60/रा.40 के.+रा.))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	049	2235021020114 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के..60/रा.40 के.+रा.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	21,85,36,000 (रुपये इक्कीस करोड़ पचासी लाख छत्तीस हजार मात्र)
	कुल			**21,85,36,000** **(रुपये इक्कीस करोड़**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

				पचासी लाख छत्तीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020115 (बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	04 यात्रा व्यय	45,000 (रुपये पैंतालीस हजार मात्र)
2	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	07 मानदेय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
3	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	08 कार्यालय व्यय	33,00,000 (रुपये तैंतीस लाख मात्र)
4	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	09 विद्युत देय	16,50,000 (रुपये सोलह लाख पचास हजार मात्र)
5	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	22,50,000 (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र)
6	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,56,25,000 (रुपये एक करोड़ छप्पन लाख पच्चीस हजार मात्र)
7	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	27,00,000 (रुपये सत्ताईस लाख मात्र)
8	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2,91,50,000 (रुपये दो करोड़ इक्यानबे लाख पचास हजार मात्र)
9	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	1,53,00,000 (रुपये एक करोड़ तिरपन लाख मात्र)
10	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	22,50,000 (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र)
11	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	24,00,000 (रुपये चौबीस लाख मात्र)
12	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की	47 कम्प्यूटर	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र

http://shasanadesh.up.gov.in

		स्थापना (के.60/रा.40-के.)	अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	)
13	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4,50,00,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**12,20,70,000 (रुपये बारह करोड़ बीस लाख सत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020117 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.30/स्वै.10-के.+रा.+स्वै.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020117 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.30/स्वै.10-के.+रा.+स्वै.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
	कुल			**1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020121 (दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के..60/रा.40 के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के..60/रा.40 के.)	04 यात्रा व्यय	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
2	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के..60/रा.40 के.)	08 कार्यालय व्यय	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
3	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के..60/रा.40 के.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
4	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के..60/रा.40 के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	11,50,000 (रुपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र)
5	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के..60/रा.40 के.)	42 अन्य व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
6	049	2235021020121	44	75,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के..60/रा.40 के.)	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	(रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
7	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के..60/रा.40 के.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
8	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के..60/रा.40 के.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**19,75,000 (रुपये उन्नीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020122 (किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.35/रा.65-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020122 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.35/रा.65-के.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	5,94,82,000 (रुपये पांच करोड़ चौरानवे लाख बयासी हजार मात्र)
	कुल			**5,94,82,000 (रुपये पांच करोड़ चौरानवे लाख बयासी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020135 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020135 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	01 वेतन	12,25,00,000 (रुपये बारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
2	049	2235021020135 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	03 मंहगाई भत्ता	5,51,25,000 (रुपये पांच करोड़ इक्यावन लाख पच्चीस हजार मात्र)
3	049	2235021020135 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	06 अन्य भत्ते	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	049	2235021020135 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	55 मकान किराया भत्ता	86,50,000 (रुपये छियासी लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**18,67,75,000** **(रुपये अठारह करोड़ सड़सठ लाख पचहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020137 (किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020137 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	01 वेतन	1,67,00,000 (रुपये एक करोड़ सड़सठ लाख मात्र)
2	049	2235021020137 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	03 मंहगाई भत्ता	75,15,000 (रुपये पचहत्तर लाख पंद्रह हजार मात्र)
3	049	2235021020137 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	06 अन्य भत्ते	5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)
4	049	2235021020137 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	55 मकान किराया भत्ता	16,50,000 (रुपये सोलह लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**2,64,15,000** **(रुपये दो करोड़ चौंसठ लाख पंद्रह हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028906 (बाल कल्याण समिति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	07 मानदेय	2,39,99,000 (रुपये दो करोड़ उनतालीस लाख निन्यानवे हजार मात्र)
2	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	09 विद्युत देय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	10 जलकर / जल प्रभार	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
5	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
6	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	13 टेलीफोन पर व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
8	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
9	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	29 अनुरक्षण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
10	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
11	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
12	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
13	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
14	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
	कुल			**3,28,99,000 (रुपये तीन करोड़ अट्ठाईस लाख निन्यानवे हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028907 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द बालकों के लिये खुले आश्रय गृह)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	049	2235021028907 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द बालकों के लिये खुले आश्रय गृह	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	70,96,000 (रुपये सत्तर लाख छियानबे हजार मात्र)
	कुल			**70,96,000 (रुपये सत्तर लाख छियानबे हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028910 (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	08 कार्यालय व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
2	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	09 विद्युत देय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
3	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	10 जलकर / जल प्रभार	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
4	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
5	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
6	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	33,75,000 (रुपये तैंतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
7	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
8	049	2235021028910	20	76,75,000

http://shasanadesh.up.gov.in

		विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	(रुपये छिहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र)
9	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
10	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	29 अनुरक्षण	1,75,000 (रुपये एक लाख पचहत्तर हजार मात्र)
11	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	39 औषधि तथा रसायन	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
12	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	41 भोजन व्यय	36,25,000 (रुपये छत्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र)
13	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	42 अन्य व्यय	3,25,000 (रुपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र)
14	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
15	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,75,000 (रुपये एक लाख पचहत्तर हजार मात्र)
16	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			**1,85,50,000 (रुपये एक करोड़ पचासी लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028912 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	04 यात्रा व्यय	16,000 (रुपये सोलह हजार मात्र)
2	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	08 कार्यालय व्यय	80,000 (रुपये अस्सी हजार मात्र)
3	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	09 विद्युत देय	80,000 (रुपये अस्सी हजार मात्र)
4	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	10 जलकर / जल प्रभार	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
5	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
6	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
7	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	21,00,000 (रुपये इक्कीस लाख मात्र)
8	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	41 भोजन व्यय	9,04,000 (रुपये नौ लाख चार हजार मात्र)
9	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	42 अन्य व्यय	12,47,000 (रुपये बारह लाख सैंतालीस हजार मात्र)
10	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
11	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
12	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
13	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	11,30,000 (रुपये ग्यारह लाख तीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कुल			**80,57,000** **(रुपये अस्सी लाख सत्तावन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028914 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028914 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	14,56,91,000 (रुपये चौदह करोड़ छप्पन लाख इक्यानबे हजार मात्र)
	कुल			**14,56,91,000** **(रुपये चौदह करोड़ छप्पन लाख इक्यानबे हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028915 (बाल संरक्षण इकाई की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	04 यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
2	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	07 मानदेय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
3	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	08 कार्यालय व्यय	22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)
4	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	09 विद्युत देय	11,00,000 (रुपये ग्यारह लाख मात्र)
5	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
6	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,04,20,000 (रुपये एक करोड़ चार लाख बीस हजार मात्र)
7	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,94,40,000 (रुपये एक करोड़ चौरानवे लाख चालीस हजार मात्र)
9	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	42 अन्य व्यय	1,02,00,000 (रुपये एक करोड़ दो लाख मात्र)
10	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
11	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
12	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
13	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
	कुल			**8,13,90,000** **(रुपये आठ करोड़ तेरह लाख नव्वे हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028917 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028917 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
	कुल			**80,00,000** **(रुपये अस्सी लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028921 (दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028921 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी	04 यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
2	049	2235021028921	08	50,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी	कार्यालय व्यय	(रुपये पचास हजार मात्र)
3	049	2235021028921 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
4	049	2235021028921 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7,70,000 (रुपये सात लाख सत्तर हजार मात्र)
5	049	2235021028921 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	049	2235021028921 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
7	049	2235021028921 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
8	049	2235021028921 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			**13,20,000 (रुपये तेरह लाख बीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028922 (किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028922 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	3,96,54,000 (रुपये तीन करोड़ छियानबे लाख चौवन हजार मात्र)
	कुल			**3,96,54,000 (रुपये तीन करोड़ छियानबे लाख चौवन हजार मात्र)**

महायोग	1,06,63,59,000 (रुपये एक अरब छह करोड़ त्रेसठ लाख उनसठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

संख्या-22/2023/001-440/60-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।